rder

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमन सोनल आर.ए.एस. नवलगढ़

...िंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी ...वारा कलां तह. नवलगढ़	—बनाम—	आनन्द सिंह पुत्र राजपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम घोड़ीवाराकलां तह. नवलगढ़
...म मुकदमा – प्रा0 पत्र अस्थाई निषेघज्ञा		मु.नं. 53 /2022 RCMS No

...आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
...4.06.2022	आज यह प्रार्थना पत्र छगन सिह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी घोडीवारा कलां तह. नवलगढ़ की ओर से वकील विजेन्द्र सिंह जाखड, विजेन्द्र सिंह दूत ने विरूद्व अनावेदकगण अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रा0 पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया । वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि कि वे राजस्व ग्राम घोड़ीवारा कलां स्थित प्रशनगत कृषि भूमि ख0नं0 97 रकबा 5.3500 है0 में आवेदक को उसके हिस्से की कृषि भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में कोई बाधा व अवरोध पैदा नहीं करें। और ना ही आवेदक को बेदखल करके नाजायज कब्जा करें तथा इस आशय से भी पाबन्द किया जावे कि प्रशनगत कृषि भूमि को विभाजन से पूर्व किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय नहीं करें। और ना ही कोई विक्रय–पत्र व हस्तान्तरण विलेख तस्दीक करवाये तथा कृषि भूमि का निश्चित भू भाग पर कोई निर्माण कार्य करके अकृषि उपयोग नहीं करें और ना ही मिट्टी खुदाई करके व पेड़ पौधे काटकर एवं सीमा आदि को नष्ट करके भूमि को वेस्ट व डेमेज करें। तथा ना ही कोई गलत व विधि विरूद्व कार्यवाही निष्पादित करें। तादौराने वाद मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं सलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील व प्रार्थी को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम घोड़ीवारा कलां स्थित प्रशनगत कृषि भूमि ख0नं0 97 रकबा 5.3500 है0 के संबंध में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त आदेश प्रचलित/कटानी/डबल–डोटेड रास्तों पर प्रभावी नहीं होगा। आवेदक सी.पी. सी. ऑर्डर 39(3) की पालना सुनिश्चित करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अनावेदकगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 15/07/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (झुन्झुनू)	

1/8/22

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 29/9/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 28/10/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 8/11/22 को पेश हो।

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। गत आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/2/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने [illegible] P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 18/5/23 को पेश हो।

13/6/23 पत्रावली आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023" चौकीवारा खुर्द में पेश हुई। [illegible] पक्षकारान उप./ अनु.। पक्षकारान में [illegible] समझाईश की गई। राजीनामा नहीं हुआ [illegible] पत्रावली न्यायालय हाजा में दिनांक 7/8/23 को पेश हो।

शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभि.2023, पं.स. नवलगढ़

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। गत आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 27/9/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 8/12/23 को पेश हो।

कार्यवाही विवरण		अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय लीव/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 27/2/24 को पेश हो।		
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा श्रीमान P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 14/5/24 को पेश हो।		
14/5/24 पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। गत आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 10/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़		
10/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 28/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़		
28/8/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा श्रीमान P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 30/10/24 को पेश हो।		
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा श्रीमान P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 17/12/24 को पेश हो।		
17/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 4/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़		
28/1/2025 आवेदक स्वयं व वकील आवेदक उपस्थित। वादी ने निस्तर		[illegible]

आदेश	कार्यवाही विवरण
	अपना वाद स्वयं खारिज करा लिया है। इसलिये अब इस प्रा० पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है इस प्रा०पत्र मे पारित आदेश दिनांक 14-06-2022 तत्काल प्रभाव से वेकेट/अपास्त किया जाता है पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।
	... नवलगढ़ (झु.झु.)

81